छत्तीसगढ़, बिलासपुर उच्च न्यायालय

द्वितीय अपील क्रमांक 311/2004

1. जुमरत/ लुखरी (मृत एवं विलोपित)

2. बसरत अली, पिता- स्व.दुखान मियां

3. अबिद हुसैन, पिता- स्व.दुखान मियां

4. ताहिर हुसैन, पिता- स्व.दुखान मियां

5. इस्लामनी खटून, पिता- स्व. दुखान मियां

6. सोगरा खातून (मृत) द्वारा विधिक वारिसान-

6 अ. जमाल अंसारी पिता- स्व.काइल मियां, लगभग 65 वर्ष ,
6 ब. साहबन पिता-जमाल अंसारी, लगभग 35 वर्ष,
6 स. जूलिखा खातून पति- मुस्तक अंसारी, लगभग 32 वर्ष ,

7. रोकईया खातून, पिता- स्व. दुखान मियां

सभी निवासी- रामानुजगंज, तहसील-रामनुजगंज,
जिला - बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.)
सभी निवासी- गाँव महावीर गंज पोस्ट चिनिया,
थाना- रामानुजगंज, तहसील- पाल, जिला-सरगुजा (छ.ग.) .

...अपीलकर्ता/प्रतिवादी

बनाम

1. मोहम्मद आलम, पिता-इस्माइल मियां, उम्र 45 वर्ष

2. मोहताज आलम, पिता-स्व. इस्माइल मियां, उम्र 42 वर्ष

3. मोहम्मद रोशन आलम, पिता-स्व. इस्माइल मियां, उम्र 40 वर्ष

4. मोहम्मद मोख्तर आलम, पिता-स्व. इस्माइल मियां, उम्र 38 वर्ष

5. मोहम्मद फिरोज आलम, पिता-स्व. इस्माइल मियां, उम्र 36 वर्ष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मोहम्मद मसीहा अल्म, पिता-स्व. इस्माइल मियां, उम्र 34 वर्ष

7. मोहम्मद हाफ़िज़ आलम, पिता-स्व. इस्माइल मियां, उम्र 32 वर्ष

8. हुश्नाबानो (मृत व विलोपित)

9. सफिया खटून (मृत) विधिक वारिसान द्वारा

9 अ.नियाजुददीन, पिता-नियामत, उम्र- लगभग 55 वर्ष,
9 ब. आसिक अंसारी पिता- नियाजुददीन, उम्र- लगभग 32 वर्ष,
9 स. ताहिर हुसैन, पिता- नियाजुद्दीन, उम्र- लगभग 30 वर्ष,
9 द. परवेल अंसारी, पिता-नियाजुद्दीन, उम्र- लगभग 28 वर्ष,
9 य. अली हुसैन, पिता-नियाजुद्दीन, उम्र- लगभग 26 वर्ष,
9 र. अकबर अंसारी , पिता-नियाजुद्दीन, उम्र- लगभग 24 वर्ष,

सभी निवासी - महावीर गंज, थाना-रामानुज
गंज, जिला- बलरामपुर - रामानुजगंज (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. द्वारा विधिक वारिसान दोस्त मोहम्मद (मृत)

10 अ. मुस्तफा, पिता-स्व. दोस्त मोहम्मद, उम्र- लगभग 55 वर्ष,

10 ब. मुर्तुजा, पिता-स्व. दोस्त मोहम्मद, उम्र- लगभग 45 वर्ष,

10 स. शकिना पिता-स्व. दोस्त मोहम्मद, उम्र- लगभग 58 वर्ष,

10 द. सबराखातुम, पिता-स्व. दोस्त मोहम्मद, उम्र-54 वर्ष,

10 इ. श्रीमती अकथारी बेगम, पिता-स्व. दोस्त मोहम्मद, उम्र- लगभग 55 वर्ष,

10 ड. श्रीमती कुलुतुन, पति- स्व. दोस्त मोहम्मद, उम्र-40 वर्ष,

सभी निवासी - महावीर गंज, पोष्ट-चिनिया, थाना-रामानुजगंज,
जिला- सरगुजा (छ.ग.)

.....वादीगण

11. छ.ग. राज्य
द्वारा सरगुजा, अंबिकापुर, (छ.ग.) **.....प्रतिवादीगण**

अपीलकर्ता/प्रतिवादी क्र. 1 के विधिक वारिसान द्वारा- श्री ए.के. प्रसाद अधिवक्ता

प्रतिवादी क्र. 1 से 10/ वादीगण द्वारा- श्री एस. ए. असांरी अधिवक्ता

प्रतिवादी क्र. 11 द्वारा- श्री संजीव अग्रवाल पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

निर्णय बोर्ड पर

19-09-2019

1. यह कि, प्रतिवादी क्रमांक 1 के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस द्वितीय अपील में शामिल , तैयार और उत्तर दिए जाने वाले विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नानुसार हैः-

क्या दोनों निचली अदालतों द्वारा पारित आदेश वादग्रस्त भूमि पर स्वामित्व की घोषणा के संबंध में विपरीत हैं, जबकि इसके संबंध मे कोई विभाजन साबित नहीं हुआ था?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(सुविधा के लिए, पक्षों को वाद में दिखाए गए उनके दर्जे और विचारणीय न्यायालय के समक्ष दी गई रैंकिंग के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।)

2. यह कि, वाद के साथ प्रस्तुत वाद संपत्ति तुराब मियाँ के नाम पर थी। उनके तीन बेटे थे , इस्माइल मियाँ, दोस्त मोहम्मद और प्रतिवादी क्रमांक 1 दुखन मियाँ। वादी क्रमांक 1 से 9 इस्माइल मियाँ के बेटे, बेटियाँ और बेवा हैं। वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 दुखन मियाँ के विरूद्ध स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद प्रस्तुत किया गया था , जिसमें कहा गया कि वाद संपत्ति का तुराब मियाँ के जीवनकाल में ही विभाजन हो चुका था। परंतु प्रतिवादी

क्रं.1 ने बिक्री विलेखों **(प्रदर्श पी.6 से प्रदर्श पी.9)** के माध्यम से अपना हिस्सा वादी और अन्य व्यक्तियों को बेच दिया और **प्रदर्श पी.10 से प्रदर्श पी.13** के माध्यम से वादी क्रं.1 महमूद आलम के पक्ष में 1.17 एकड़ भूमि नीलाम कर दी। इस प्रकार 20.38 एकड़ भूमि में से प्रतिवादी क्रं.1 ने 7.30 एकड़ भूमि बेच दी है, इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 1 का वाद ग्रस्त भूमि पर कोई अधिकार, स्वामित्व और हित नहीं है और इस संबंध में उनके पक्ष में आदेश पारित किया जाए।

3. यह कि, प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया और वाद में किए गए कथनों से इंकार करते हुए कथन किया कि उनके पास वादग्रस्त भूमि पर अधिकार और स्वामित्व है और उनके बीच कोई विभाजन नहीं हुआ है, इसलिए वाद खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. यह कि, वाद में प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की सराहना करने के बाद विचारणीय न्यायालय ने अपने निर्णय और दिनांक 02.03.2000 के डिक्री द्वारा प्रतिपादित किया कि वादी वादग्रस्त भूमि के स्वामी हैं। हालांकि वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 के बीच कोई विभाजन नहीं हुआ है, लेकिन प्रतिवादी क्रमांक 1 ने **प्रदर्श पी.6 से प्रदर्श पी.9** के अनुसार 7.30 एकड़ जमीन बेची है और **प्रदर्श पी.10 से प्रदर्श पी.13** के अनुसार उसके मामले में कुछ जमीन की नीलामी की गई थी। चूंकि उसने अपने हिस्से की भूमि बेच दी है और इसलिए वादी स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के डिक्री के हकदार हैं, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी पुष्टि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री पर प्रश्न उठाते हुए, प्रतिवादी क्रमांक 1 के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा **व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100** के तहत यह द्वतीय अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा विधि का पर्याप्त प्रश्न तैयार किया गया है, जिसे इस निर्णय के प्रारंभिक कण्डिका में निर्धारित किया गया है।

5. यह कि, अपीलकर्तागण प्रतिवादी क्रमांक 1 के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए .के. प्रसाद ने प्रस्तुत

किया कि दोनों निचली अदालतों का यह मानना बिल्कुल अनुचित है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने **प्रदर्श पी.6 से प्रदर्श पी.9** के अनुसार 7.30 एकड़ भूमि बेची है और **प्रदर्श पी.10 से प्रदर्श पी.13** के अनुसार वादग्रस्त संपत्ति का कुछ हिस्सा नीलाम भी करवाया है , इस प्रकार, दोनों निचली अदालतों ने विधिक त्रुटि की है क्योंकि दो भाई अर्थात् इस्माइल मियाँ और दोस्त मोहम्मद , मुल्ला द्वारा मुस्लिम कानून के सिद्धांतों के अनुच्छेद 41 20वां संस्करण के अनुसार समान किरायेदार हैं। वे तुराब मियाँ की संपत्ति के सामान्य किरायेदार के रूप में उत्तराधिकारी हैं और भले ही प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने वादग्रस्त भूमि का कुछ हिस्सा बेच दिया हो , तब भी वह हिस्से का हकदार होगा, इस प्रकार, दोनों निचली अदालतों ने यह मानते हुए वाद मे निर्णय पारित करते हुए पूरी तरह से अनुचित निर्णय दिया है कि इस्माइल मियाँ, दोस्त मोहम्मद और प्रतिवादी क्रमांक 1 दुखन मियाँ के बीच कोई विभाजन नहीं है, इस प्रकार, दोनों निचली अदालतों के निर्णय और डिक्री को रद्द किये जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. यह कि, दूसरी ओर, प्रतिवादी क्रमांक 1 से 10/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस .ए. अंसारी ने विवादित निर्णय और डिक्री का समर्थन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि निचली दोनों अदालतों ने एक साथ वादीगण के पक्ष में डिक्री प्रदान की है, जो पूरी तरह से विधि सम्मत है।

7. यह कि, मेरे द्वारा उभय पक्षकारों के अधिवक्ताओ के तर्क सुने गए और उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

8. यह कि, दर्शित है कि, मुकदमे की संपत्ति तुराब मियां के पास थी। उनके तीन बेटे थे , इस्माइल मियां, दोस्त मोहम्मद और प्रतिवादी क्रमांक 1 दुखन मियां। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने **प्रदर्श पी. 6 से प्रदर्श पी. 9** के अनुसार भूमि का कुछ हिस्सा बेचा है और **प्रदर्श पी. 10 से प्रदर्श पी. 13** के अनुसार वादग्रस्त भूमि का कुछ हिस्सा उसके कहने पर नीलाम किया गया था। वाद

के इस दृष्टिकोण से, दोनों निचली अदालतों ने माना है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने पहले ही मुकदमे की संपत्ति में अपना हिस्सा बेच दिया है, जिसमें 7.30 एकड़ जमीन शामिल है।

9. यह कि, **मुल्ला द्वारा लिखित मुस्लिम विधि के सिद्धांतों के अनुच्छेद 41 20वां संस्करण**, में मुसलमानों के बीच उत्तराधिकार के हस्तांतरण के बारे में बताया गया हैः-

"41. <u>उत्तराधिकार का हस्तांतरण।</u> धारा 39 और 40 के प्रावधानों के अधीन, यदि किसी मृतक मुसलमान की मृत्यु बिना वसीयत के हुई है, तो उसकी पूरी संपत्ति, या यदि उसने वसीयत (धारा 118) छोड़ी है, तो उसका उतना हिस्सा जो वसीयत द्वारा निपटाया नहीं गया है, उसकी मृत्यु के समय उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाता है, और हस्तांतरण केवल मृतक से बकाया ऋण के कारण निलंबित नहीं होता है। उत्तराधिकारी विशिष्ट शेयरों में आम किरायेदार के रूप में संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

44. <u>संपत्ति का वितरण।</u> चूंकि संपत्ति मृतक की मृत्यु के समय उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाती है, इसलिए वे मृतक की मृत्यु के बाद किसी भी समय इसे विभाजित करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऋणों के भुगतान तक वितरण को निलंबित नहीं किया जा सकता है।

49. <u>विभाजन से पहले सह-हिस्सेदार द्वारा अलगाव।</u> जहां दो या अधिक सह-हिस्सेदारों में से एक संयुक्त रूप से उनके द्वारा धारित कुछ संपत्तियों में अपना अविभाजित हिस्सा गिरवी रखता है, वहां गिरवीदार अन्य सह-हिस्सेदारों के अधिकार के अधीन सुरक्षा लेता है ताकि विभाजन लागू किया जा सके और इस तरह पूरे के अविभाजित हिस्से को अलग -अलग धारित एक निश्चित हिस्से में परिवर्तित किया जा सके। इसलिए, यदि गिरवी के बाद विभाजन होता है और गिरवी रखी गई संपत्तियां अन्य सह - हिस्सेदारों को आवंटित की जाती हैं, तो वे धोखाधड़ी की

अनुपस्थिति में उन संपत्तियों को गिरवी से मुक्त कर लेते हैं और गिरवीदार केवल गिरवीदार को उसके अविभाजित हिस्से के बदले में आवंटित संपत्तियों के खिलाफ ही आगे बढ़ सकता है।

10. यह कि, उपरोक्त प्रावधान का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि हिंदू विधि के विपरीत, यदि कोई मुसलमान बिना वसीयत के मर जाता है, तो उसकी संपत्ति उसकी मृत्यु के समय उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाती है। मुस्लिम विधि के तहत , जन्मसिद्ध अधिकार को मान्यता नहीं दी जाती है। मुस्लिम विधि में संयुक्त किरायेदारी नहीं होती है और वारिस केवल आम किरायेदार होते हैं। इसलिए, कोई वारिस सभी संपत्तियों के बंटवारे की मांग किए बिना आम तौर पर रखी गई संपत्तियों में से किसी एक के संबंध में बंटवारे का दावा कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. यह कि, यह तथ्य स्थापित है कि किसी मुसलमान की मृत्यु पर उसकी संपत्ति तुरंत उसके उत्तराधिकारियों को व्यक्तिगत कानून के तहत उनके हिस्से के बराबर अलग-अलग हस्तांतरित हो जाती है और किसी मुसलमान की मृत्यु पर तुरंत उसका प्रत्येक उत्तराधिकारी उसके हिस्से के अनुपात में संपत्ति का पूर्ण मालिक बन जाता है। इस प्रकार मुस्लिम विधि के तहत , मृतक मुसलमान की संपत्तियों के स्वामित्व की संयुक्तता की कोई अवधारणा नहीं है।

12. <u>यह कि, मुल्ला द्वारा लिखित मुस्लिम विधि के सिद्धांतों के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि:-</u>

''ऋणों के उत्तराधिकारियों की देयता की सीमा प्रत्येक उत्तराधिकारी मृतक के ऋणों के लिए केवल उस सीमा तक उत्तरदायी है, जो संपत्ति में उसके हिस्से के अनुपात में ऋणों का हिस्सा है।''

13. यह कि, उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि मुस्लिम उत्तराधिकारी अपने विशिष्ट शेयर के

स्वतंत्र स्वामी हैं और उनकी देयता भी संपत्ति में उनके हिस्से की सीमा के अनुपात में है। उक्त परिस्थिति में, एक शेयरधारक को किसी अन्य शेयरधारक की संपत्ति को अलग करने का कोई अधिकार, शीर्षक और हित नहीं है।

14. यह कि, **<u>एन.के. मोहम्मद सुलेमान बनाम एन.सी. मोहम्मद इस्माइल 1</u>** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने विधि के सिद्धांत को निर्धारित किया कि मरने वाले मुस्लिम व्यक्ति की संपत्ति का प्रशासन मुस्लिम विधि के तहत उसकी मृत्यु के समय उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाता है , अर्थात संपत्ति व्यक्तिगत कानून द्वारा निर्धारित हिस्से के अनुपात में प्रत्येक उत्तराधिकारी को तुरंत प्राप्त हो जाती है और प्रत्येक उत्तराधिकारी का हित अलग और विशिष्ट होता है। प्रत्येक उत्तराधिकारी व्यक्तिगत कानून के तहत मृतक के ऋणों को केवल संपत्ति में उसके हिस्से के अनुपात में ऋण के हिस्से की सीमा तक चुकाने के लिए उत्तरदायी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. यह कि, उपरोक्त कानूनी विश्लेषण के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने बिना किसी विभाजन के मुकदमे की भूमि का कुछ हिस्सा बेच दिया और मुकदमे की संपत्ति का कुछ हिस्सा कुल 7.30 एकड़ भूमि, भी नीलाम करवा दिया, जबकि उनके पास मुकदमे की कुल भूमि 20.38 एकड़ थी, इस प्रकार, उन्होंने (प्रतिवादी क्रमांक 1) एक मुसलमान वारिस होने के नाते वादग्रस्त संपत्ति में अपना 1/3 हिस्सा पहले ही बेच दिया है। वह कभी भी अपने विशिष्ट हिस्से का मालिक नहीं था क्योंकि एक मुसलमान की मृत्यु पर उसकी संपत्ति तुरंत उसके उत्तराधिकारियों को व्यक्तिगत कानून के तहत उनके हिस्से के बराबर अलग से हस्तांतरित हो जाती है और प्रत्येक वारिस अपने हिस्से के अनुपात में संपत्ति का पूर्ण मालिक बन जाता है। चूंकि प्रतिवादी क्रं . 1 ने पहले ही वादग्रस्त

संपत्ति में अपना हिस्सा बेच दिया था, जो कि मूल मालिक के पास मौजूद 20.38 एकड़ भूमि में से 1/3, कुल 7.30 एकड़ है, इसलिए निचली दोनों अदालतों ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए पूरी तरह से न्यायोचित निर्णय दिया है , जिसे विधि के विपरीत नहीं माना जा सकता है , इसलिए, मुस्लिम विधि के तहत, इस तरह का अलगाव अनुमेय है और वादी के पक्ष में निचली दो अदालतों द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है। मुझे उक्त निष्कर्ष में कोई अवैधता या विकृति नहीं दिखती। विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर वादी के पक्ष में और प्रतिवादी क्रं . 1 के विरुद्ध दिया गया है।

16. यह कि, तदनुसार, द्वितीय अपील अनुचित है, अतः इसे खारिज किया जाता है , तथा पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**